



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

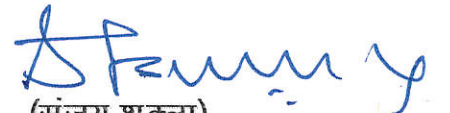
टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत सोराली – डोंडीलोहारा, दल्लीराजहरा – गोटाटोला दल्लीराजहरा – बालोद, दल्लीराजहरा – भानुप्रतापपुर, धमतरी – चारामा, कोरर-मालगांव, अंगारा-भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव-दल्लीराजहरा के मुख्य मार्गों से समानांतर कुल 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.487 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.244 हे. राजस्व वन भूमि 0.164 हे. कुल 2.895 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के अभिमत से सहमत होते हुए ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 2.895 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 21/10/2022

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर


(संजय शुक्ला)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(Sanjay Shukla) I.F.S.
Principal Chief Conservator of Forests
Deptt. of Forest & Climate Change
Aranya Bhawan, Nawa Raipur (C.G.)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-889-A/2474

रायपुर, दिनांक 27/10/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

विषय:— **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Balod Forest Division Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojana (SKY) Area - 2.895 Ha.**

— **पंजीयन क्रमांक — FP/CG/OFC/46941/2020**

संदर्भ:— मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त, दुर्ग का पत्र क्रमांक /तक अधि/7474 दिनांक 12.10.2022

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र-1 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:—

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र— आवेदनकर्ता जियो डिजिटल फायबर प्रा.लि. द्वारा बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत सोराली-डोंडीलोहारा, दल्लीराजहरा-गोटाटोला दल्लीराजहरा-बालोद, दल्लीराजहरा-भानुप्रतापपुर, धमतरी-चारामा, कोरस-मालगांव, अंगारा-भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव-दल्लीराजहरा मुख्य के मार्गों से समानांतर कुल 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.487 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.244 हे. राजस्व वन भूमि 0.164 हे. कुल 2.895 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:— प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/46941/2020 आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क राशि रुपये 6000 एवं एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रुपये 29,000 कुल रु. 35,000/- जमा कराया गया है।	2-10
3.	वन क्षेत्र का विवरण:— आवेदनकर्ता जियो डिजिटल फायबर प्रा.लि. द्वारा बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.487 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.244 हे. राजस्व वन भूमि 0.164 हे. कुल 2.895 हे. वन भूमि के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	11-13
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:— राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 6.983 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	14 - 16
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोगीट 1:50000 स्केल पर:— प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	17-18
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:— प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	19-32

7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत सोराली-डोंडीलोहारा, दल्लीराजहरा-गोटाटोला, दल्लीराजहरा-बालोद, दल्लीराजहरा-भानुप्रतापपुर, धमतरी-चारामा, कोरर-मालगांव, अंगारा-भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव-दल्लीराजहरा मुख्य मार्गों से समानांतर कुल 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आस्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.487 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.244 हे. राजस्व वन भूमि 0.164 हे. कुल 2.895 हे. वन भूमि में किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट आफ वे में किया जाना है अतः वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है।	33-41
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- यूजर एजेंसी द्वारा कथन किया है कि छ.ग. प्रदेश के मोबाईल नेटवर्किंग कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से एल.डबल्यू.ई क्षेत्रों में इंटेलिजेशन, मानिट्रिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास भी होगा, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पदस्थ सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों की तथा पुलिस के जवानों में पारंपरिक संवाद सुविधा एवं आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी, जिससे कि उग्रवाद के विस्तार में अंकुश लगेगा, साथ ही साथ हमारे जवानों की जीवन रक्षा में अत्यंत सहयोगी होगा। इस कार्य को संपादित करने के लिये 546 लाख रु. लागत आयेगी।	42
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	43
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:- इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	44
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- भाग-2 पर वन मंडलाधिकारी, बालोद द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 01.04.2022 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, बालोद के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा दिनांक 17.08.2022 से वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। फायबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.6 है।	45-57
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र:- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	58
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आस्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	59-114
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- बालोद जिले के कुल वन भूमि रकबा 86292.00 हे. है।	115
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- बालोद जिले के अंतर्गत 14 स्वीकृत प्रकरणों में 721.834 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	116
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- व.स.अ.-1980 तहत बालोद जिले के अंतर्गत इसी श्रेणी के 1 स्वीकृत प्रकरण में कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा 5.025 हे. है।	117
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/	118

	एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदालय का वन मंडलाधिकारी, बालोद एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/थछवण 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बालोद से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग आवेदक विभाग द्वारा किया गया है जिसकी पावती अभिस्वीकृति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	119-124
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बालोद के पत्र क्रमांक 69 दिनांक 15.02.2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	125-128
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार है।	129-130
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- प्रस्तावित वन भूमि किसी वन्य प्राणी परियोजना के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।	131

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग-4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-889-A / 2475
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 27/10/2022

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, बालोद वन मंडल, बालोद, छत्तीसगढ़
3. महाप्रबंधक (कार्पोरेट. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़